2. **महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में शेष रही एरियर राशि शीघ्र निर्गत करने हेतु :-** राज्य सरकार ने नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के आदेश जारी करते समय 60 प्रतिशत एरियर का भुगतान 2009-2010 वित्तीय वर्ष में करने की स्वीकृति प्रदान की थी। इस एरियर के 40 प्रतिशत राशि का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष 2010-2011 में करने का प्रावधान किया गया था। यह भुगतान महाविद्यालय शिक्षकों का अभी लम्बित है। राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों को छठे वेतनमान की एरियर भुगतान अभी तक अपेक्षित है। आपसे आग्रह है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में महाविद्यालय शिक्षकों की शेष रही राशि के नगद भुगतान के आदेश जारी करने के साथ ही राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों को छठे वेतनमान के 60 प्रतिशत एरियर व शेष 40 प्रतिशत एरियर के संबंध में अविलम्ब कार्यवाही कर अनुगृहित करें।

3. **महाविद्यालय शिक्षा में स्थायी निदेशक व अतिरिक्त निदेशक की शिक्षकों में से ही नियुक्ति हो :-** राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियमों में निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा का पद राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) से भरने का प्रावधान है, लेकिन गत अनेक वर्षों से इस पद पर निरन्तर प्रशासनिक अधिकारियों को पदस्थापित कर सरकारों ने शिक्षकों के अधिकार का हनन किया है। साथ ही अतिरिक्त निदेशक प्रशासनिक का पद भी सृजित कर वहाँ वरिष्ठ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को लगाया गया है जो पद, वेतन तथा वेतनमान में इस संवर्ग के वरिष्ठ प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों से कनिष्ठ होगा ऐसे में यह निर्धारित सेवा नियमों के विपरीत है। आज जब सर्वत्र विभागाध्यक्ष पद पर विशेषज्ञों को नियुक्त किये जाने का दौर चल रहा है ऐसे में यह परिवर्तन शिक्षकों के स्वाभिमान पर सीधी चोट है। आपसे आग्रह है कि इस प्रकार की कार्यवाही को रोक कर इसी सेवा के वरिष्ठतम व्यक्ति को निदेशक पद भार दिया जाये तथा स्थायी निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक महाविद्यालय शिक्षा सेवा में से ही प्राचार्य स्तर के अधिकारियों को लगाया जाय।

4. **स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण** - राज्य सरकार की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को सरकार दो वर्ष की परिवीक्षा पर न्यूनतम एवं समेकित वेतन का भुगतान करती है, यह उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। इससे प्रतिभावान व्यक्तियों का रुझान इस संवर्ग में आने को बाधित कर रहा है जो प्रदेश की शिक्षा के हित में नहीं होगा। परिवीक्षा पूर्ण करने पर इन शिक्षकों का वेतन नियमित पे-बैंड में न्यूनतम पर स्थिर किया जा रहा है, यह सर्वथा अन्यायपूर्ण है। यह उन्हें दो वर्ष की सेवा से पूर्णत: वंचित कर देता है। सेवानिवृत्ति के लाभ में भी यह काल कम हो जाता है। संगठन का आग्रह है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर इन शिक्षकों का वेतन परिवीक्षा काल की नियुक्ति तिथि से मानते हुए नियत किया जाय। साथ ही परिवीक्षा काल को नियमित सेवा का भाग माना जाये तथा सभी प्रकार के अवकाश लाभ तथा कुल सेवा अवधि में सम्मिलित किया जाय।

5. **वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमानों की पात्रता सेवा में पूर्व/अन्यत्र की गई सेवा का समावेश :-** सम्पूर्ण देश में प्रतिभा के आवागमन को सुगम बनाते हुए 1986 से कॅरियर एडवांसमेंट योजना में व्यवस्था की गई कि वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान की पात्रता हेतु सेवा में शिक्षक द्वारा पूर्व में की गई व अन्यत्र की गई सेवा अवधि को सम्मिलित किया जाएगा। सम्पूर्ण देश में राजस्थान ही एक मात्र राज्य रहा जिसने इस प्रावधान को लागू नहीं किया। संगठन के अनवरत प्रयासों से परिणाम नहीं निकलने से त्रस्त कुछ शिक्षकों ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के बार-बार शिक्षकों के पक्ष में निर्णय देने के पश्चात् सरकार ने अन्तत: कतिपय शिक्षकों को लाभ दे दिया। संगठन का स्पष्ट मत एवं मांग है कि सभी पात्र शिक्षकों को पूर्व/अन्यत्र की गयी सेवा का लाभ वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान की पात्रता में दिया जाय।

6. **पीएच.डी./एम.फिल की अतिरिक्त वेतनवृद्धि की पुनर्वसूली** - उच्च शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन को दृष्टिगत कर 1986 से ही प्रोत्साहन स्वरूप पीएच.डी./एम.फिल उपाधिधारियों को सेवा में प्रवेश के समय तथा